

'संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य की सीख देता है'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "संविधान दिवस" कार्यक्रम में भाग लिया

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार

■ मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंत्रियों, प्रेम चन्द बैरवा, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, हेमन्त मीणा, सुरेश रावत, बाबूलाल खराडी व अविनाश गहलोत तथा मुख्य सचिव सुधांशु पंत, विभिन्न विभागों के अति. मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" का दीप जलाकर शुभारम्भ किया।

किया। शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकार देने के साथ ही, कर्तव्यों की भी सीख देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को ये लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने इस दिन को चुनकर हमें यह स्मरण कराया कि संविधान हमारे देश की आत्मा है और इसकी सुरक्षा और सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निमार्ण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान के अन्य महान

शिल्पियों का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाने जैसे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित

लोगों को संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं विधिक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

29 नवम्बर को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं को दण्डित करें तथा हटायें तथा पार्टी को चुनावी लड़ाई के लिये उपयुक्त इकाई का रूप दें। राहुल को आत्मनिरीक्षण करने तथा सही कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा पार्टी की स्थिति, वर्तमान स्थिति से भी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्णयों को टालते जाने का समय जा चुका है तथा समय आ गया है कि पार्टी को रास्ते पर लाया जाये तब तब जैसा भी हो, ई.वी.एम. के मुद्दे पर दो-टुक रूख अपनाया जाये।

तेलंगाना सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। पर हमने अभी तक किसी भी दानदाता से फंड हस्तांतरण के लिए नहीं कहा था क्योंकि युनिवर्सिटी को सेशन 80 जी के तहत आयकर से छूट नहीं मिली थी। चूंकि छूट का आदेश हाल ही में आया है, पर मुझे मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात और विवादों को देखते हुए फंड स्वीकार न किया जाए।

गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को गौतम अडानी ने राज्य के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी को राज्य में युनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रु. का चेक दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि "अडानी फाउण्डेशन का एक प्रतिनिधिमंडल गौतम अडानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलता तथा 'यंग इंडिया स्किल्स युनिवर्सिटी' के लिए उन्होंने 100 करोड़ रु. का चेक दिया।"

इस पर राज्य में विपक्षी बी.आर.एस. ने और केन्द्र में भाजपा ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया।

बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने एक्स पर लिखा कि एक ओर तो राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडानी को "मोदानी" कहते हैं और उनकी दोस्ती का विरोध करते हैं लेकिन तेलंगाना में रैवन्त और अडानी "रैवडानी" दिख रहा है, क्या इसे राहुल गांधी और अडानी "रागाडानी" कहा जाए। उनकी पार्टी ने अडानी ग्रुप के सभी निवेशों को कैसिल करने की मांग की, जिसमें ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर व सीमेंट उद्योग के निवेश शामिल हैं।

भाजपा आई.टी. सैल के अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी के लिए शर्म की बात है कि उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, अडानी की बात आए तो राहुल को तबज्जो नहीं देते, भले ही राहुल गांधी दिन भर अडानी-अडानी चिल्लाते रहें।

सोरेन 28 नवम्बर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जे.एम.ए. ने राज्य के विधान सभा चुनावों में 81 में से 34 सीटें तथा कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं। महागठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती हैं तथा 44.33 प्रतिशत वोट हासिल किये हैं। महागठबंधन में शामिल आर.जे.डी. ने 4 तथा सी.पी.आई. (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 सीटें जीती हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 21 तथा उसके नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) ने कुल 24 सीटें जीती हैं।

'पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि प्रतिद्वंदी खेमे ने जवाबी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने विधान सभा स्पीकर राहुल नारवेकर से "डिस्क्वालिफिकेशन" याचिकाओं पर निर्णय लेने को कहा। इस वर्ष जनवरी में, स्पीकर ने शिंदे घटक को "असली शिवसेना" घोषित कर दिया।

राजत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "यह तर्क हमेशा दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक केस क्यों नहीं ले रहा है, जो बीस वर्षों से लंबित है? या, क्यों एक

विशेष केस की सुनवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की मैनपावर सीमित है और इसमें बैलेंस करना पड़ता है।"

अपने कार्यकाल के संदर्भ में बोलते हुए चंद्रचूड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉण्ड्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने, सिटिजनशिप एक्ट के सैक्शन 6-ए की वैधता, जैसे महत्वपूर्ण केसों में फैसले दिए।" क्या यह कम महत्वपूर्ण था।" पूर्व सी.जे.आई. ने आगे कहा, "हम उस एजेंडा पर नहीं चलते, जो दूसरे हमारे लिए तय करते हैं।"

बांग्लादेश में इस्काँन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ है। इस मामले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।

चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्काँन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें में कहा, हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्काँन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्काँन भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को जल्द रिहा करे।

बता दें कि, इसी साल 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

आरोप है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीपी मैदान में सनातन जागरण मंच ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस दौरान एक चौक पर स्थित आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया गया है।

कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यों के भारत में विलय होने के पश्चात सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति "कोवोनेट" (राजस्थान का भारत में विलय होने से जुड़ी संधि) के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।

कनक भवन के मालिकाना हक के लिये रामशरण गुप्ता व अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश दिये थे कि कनक भवन के मामले में हाईकोर्ट या कोई भी अदालत किसी भी तीसरी पार्टी के आवेदन पर कोई भी मुकदमा नहीं सुनेगा। अदालत ने यह भी कहा कि बार-बार हुए मुकदमों में अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि इस संपत्ति के

वेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रामशरण गुप्ता व अन्य ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में रिट याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना याचिका भी शुरू की थी, जिसे तभी वापिस लिया गया, जब इन लोगों ने अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश पर दायर रिट्यू याचिका भी खारिज कर दी गई।

हरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कनक भवन के मूल मालिक, ब्रिगेडियर

सवाई भवानी सिंह के उत्तराधिकारियों को केस में जोड़ने का आग्रह किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने 3000 रुपए का विलम्ब शुल्क लगाकर स्वीकार कर लिया। मामले को जानने वाले वकीलों का कहना है कि यह आवेदन रामशरण गुप्ता व अन्य की ओर से इसलिये दायर किये गये, क्योंकि ब्रिगेडियर भवानी सिंह के निधन के बाद यह मामला निष्फल हो गया था।

इस वकील का यह भी कहना था कि आवेदन दायर करने का कारण यह भी था कि राजपरिवार के सदस्यों या राज्य सरकार से किसी तरह का मुआवजा एंटा जा सके। महाराज पदमनाभ ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. हाईकोर्ट द्वारा आवेदन स्वीकार करने के खिलाफ दायर की थी।

किया है।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित "संविधान दिवस कार्यक्रम" को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन संविधान की महिमा का उत्सव और उन महान व्यक्तित्वों को याद करने का दिन है, जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण



जानहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in



निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार